न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 4/2022
जीसीएमएस : 2022/81

01. साहबराम पुत्र श्री मोखराम जाति बिश्नोई साकिन डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
02. सचिन पुत्र श्री शिशपाल जाति बिश्नोई साकिन डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

बनाम

हंसराज पुत्र श्री भजनलाल जाति बिश्नोई साकिन 2 पी.पी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)– मृतक —:प्रार्थीगण

1/1. शान्ति पत्नी स्व. श्री हंसराज
1/2. सीताराम पुत्र स्व. श्री हंसराज
1/3. सोमप्रकाश उर्फ सोमदत पुत्र स्व. श्री हसंराज जाति बिश्नोई सूरतगगढ जिला श्रीगंगानगर। साकिन 2 पी.पी.एम. तह.
1/4. माया पुत्री स्व. श्री हंसराज पत्नी श्री महावीर
1/5. राधादेवी पुत्री स्व. श्री हंसराज पत्नी श्री श्रवणकुमार
1/6. राजबाला पुत्री स्व. श्री हंसराज पत्नी श्री जगदीश जाति बिश्नोई साकिन 3 डी ओ. एल. तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
1/7. शकुन्तला पुत्री स्व. श्री हंसराज पत्नी श्री इन्द्राज जाति बिश्नोई साकिन 64 एल. एन. पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
1/8. राधादेवी पुत्री स्व. श्री हंसराज पत्नी श्री श्रवणकुमार जाति बिश्नोई साकिन 3 डी. ओ.एल. – मृतक।
1/8/1. प्रवेशकुमार पुत्र श्री श्रवणकुमार जाति बिश्नोई साकिन 3 डी.ओ. एल. तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. इन्द्राज
3. सुशील कुमार
4. कृष्णलाल पुत्र श्री पतराम
5. सुखपालसिंह पुत्र श्री गोरासिंह उर्फ गिरदावरसिंह
6. कलावती पत्नी श्री शिशपाल
7. अन्जू
8. दिनेश
9. प्रमिला
10. मोनिका
11. सुनिता
12. सुमन

संतानगण श्री शिशपाल

13. मदनलाल
14. सोमदत्त पुत्रगण श्री हजारीलाल
15. मनप्रीतसिंह पुत्र श्री कर्मजीतसिंह नाबालिग जरिये संरक्षक प्रदीपकौर पत्नी कर्मजीतसिंह
16. मोहनलाल
17. रमेश कुमार
18. राजेन्द्र कुमार पुत्रगण श्री मनफूल
19. विश्वामित्र
20. सुभाष

पुत्रगण स्व. श्री लालचन्द्र

21. दलवीर पुत्र स्व. श्री श्योपत
22. सुरेन्द्र पुत्र स्व. श्री श्योपत
23. ओमपुरी पत्नी श्री श्योपत
24. साहबराम पुत्र श्री मनफूलराम
25. कमला देवी पुत्री श्री मोखराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 15:13:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

दलीप पुत्र श्री गोखराम जाति बिश्नोई निवासीयान डाबला।
मनोहरलाल पुत्र श्री गोखराम जाति बिश्नोई साकिन 1 एल. सी. ढाणी तहसील रायसिंहनगर

गंगाजल पुत्र श्री रेखाराम जाति जाट साकिन गधेवाली ढाणी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:—28.11.2022

उपस्थित अधिवक्ताः—

1. श्री सुशीलकुमार गोदारा प्रार्थीगण अधि.।
2. श्री किशोर बारूपाल अप्रार्थी सं. 4—15—18—21—22
3. श्री राजाराम पूनिया अप्रार्थी सं. 1/1 ता 1/7 अधि.।

—निर्णय—

दिनांक 06.06.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी जोत वाके चक 1 एल.सी. के संयुक्त खाता कमलादेवी वगैरा संख्या 44/39 में पत्थर नं. 125/339 मुरब्बा नं. 12 के कि.नं. 1 ता 13/1, 21 ता 24 की 4.175 है. व प.नं. 126/339 मु.नं. 13 के कि.नं. 24/2 की 0.052 है., 25/1 की 0.0228 है., 25/2 की 0.025 है. खाला 0.278 है. नहरी मय खाला कुल खाता योग 4.453 है. नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में आवेदक साहबराम का 1485/4453 हिस्सा व शेष रकबा अनावेदकगण सहखातेदारान कमलादेवी, दलीपकुमार व मनोहरलाल का खातेदारी है। संयुक्त खाता अन्जू बगैरा संख्या 10/12 में पत्थर नं. 127/339 मुरब्बा नं. 14 के कि.नं. 18 ता 23 की कुल खाता योग 1.518 है. नहरी खातेदारी अनावेदगण अन्जू, कलावती, दिनेश, प्रमिला, मोनिका, सुनिता, सुमन व आवेदक सचिन प्रत्येक एक का 1/11, 1/11 हिस्सा यानि ब.हि.ब. खातेदारी है। आवेदकगण को अपने खेत में आने—जाने हेतु स्वीकृत रास्ता नहीं है अनावेदकगण व आवेदकगण की चक 1 एल.सी. में स्थित उक्त भूमियों में आवागमन व जोत में पहुंचार्थ आबादी 1 एल.सी. मु.नं. 16 के कि.नं. 5—6—15—16 व 25 के पश्चिमी पासा से होते हुये आगे मुरब्बाजात नं. 15—14—13 व 12 प्रत्येक के किलाजात संख्या 21 ता 25 में दो—दो बिस्वा दक्षिणी पासा अस्वीकृत रास्ता लम्बे अरसा से चला आ रहा है जिससे आवागमन कर पक्षकारान अपने—अपने रकबा में पहुंचते है व उक्त अस्वीकृत रास्ता आगे के मुरब्बाजात के काश्तकार भी अपने—अपने रकबा में पहुंच के लिये उपयोग कर रहे है, इस सरल, सुगम, नजदीक, सुविधाजनक रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है इस रास्ता को आवेदकगण स्वीकृत [illegible] है अतः आवेदन मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि अन्य का[illegible]रास्ता का विकल्प न होने के कारण आवेदन आवेदकगण स्वीकार [illegible] आवेदकगण व अनावेदकगण को अपनी जोत में पहुंच के [illegible]र्थ अनावेदकगण सं. 1 व 2 की धृति चक 1 एल.सी. के पत्थर नं. 129/339 मु.नं. 16 के कि.नं. 5/1, 6 व 15 व अनावेदक संख्या 3 के कि.नं. [illegible] व 25 प्रत्येक में दो—दो बिस्वा पश्चिमी पासा, इसी चक के पत्थर नं. 128/339 मुरब्बा नं. 15 में आवेदक सं. 4 के कि.नं. 21 व अनावेदकगण संख्या 5 के कि.नं. 20—22—23—24 व 25/1 में दो—दो बिस्वा दक्षिणी पासा, इसी चक के पत्थर नं. 127/339 मुरब्बा नं. 14 में अनावेदकगण सं. 6 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]सिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

04/22

12 व आवेदक सचिन के कि.नं. 21 ता 23 में अनावेदगण सं. 13 व 14 के कि.नं. 24 व 25 में दो–दो बिस्वा दक्षिणी पासा, इसी चक के पं.नं. 126/339 मु.नं. 13 में अनावेदक सं. 15 के कि.नं. 21 व 22/1 में व अनावेदगण सं. 16 ता 24 के कि.नं. 22/2, 23 व 24/1 व अनावेदगण सं. 25 ता 27 व आवेदक साहबराम के कि.नं. 24/2, 25/1 में दो–दो बिस्वा दक्षिणी पासा व इसी चक के पं.नं. 125/339 मुरब्बा नं. 12 में अनावेदक सं. 25 ता 27 व आवेदक साहबराम के कि.नं. 21 ता 24 व अनावेदक सं. 28 के कि.नं. 25 में दो–दो बिस्वा दक्षिणी पासा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः रीडर/2022/ 350 दिनांक 28.04.2022 से पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी हंसराज के वारिसान की तरफ से श्री राजाराम पूनिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि हमारी कृषि भूमि चक 1 एल.सी. के पं.नं. 128/339 के मु.नं. 15 के कि.नं. 21 ता 25 में कोई रास्ता चालू नहीं है ना ही इस रास्ता बाबत हमारे को किसी ने कोई मुआवजा राशि दी है ना ही रास्ता के बदले कोई कृषि भूमि दी है। हमारी भूमि में रास्ता बाबत राजस्व रिकार्ड में नहीं होने पर भी राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने गलत रिपोर्ट दी है आवेदगण हमारी भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नहीं हैं। आवेदकगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अतः जवाब दर पेश करके अर्ज है कि न्याय हित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। जवाब देही का खर्चा दिलाया जावे।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/193 दिनांक 24.01.2023 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीगण चक 1 एलसी के मु.नं. 12–13–14–15 में कि.नं. 21 ता 25 व मु.नं. 16 के कि.नं. 5–6–15–16–25 ने वर्षों से चालू रास्ते को स्वीकृत करवाना चाहते हैं। चक 1 एलसी के मु.नं. 12–13–14–15 में प्रत्येक के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक कि. नं. में 0.025 है. रकबा व मु.नं. 16 के कि.न. 5/0.004, 6/0.025, 15/0.025, 16/0.025, 25/0.025 है. रकबा में लगभग 40 वर्षो से आम रास्ता चल रहा है मौके पर रास्ता स्वीकृति हेतु अधिकतर प्रभावित काश्तकारान/खातेदारान द्वारा सहमति जताई है तथा मु.नं. 16 के कि.नं. 5–6–15–16–25 के कृषक उपस्थित नहीं आये है यह कि उक्त प्रस्तावित रास्ता लगभग 40 वर्षों से मौका पर चल रहा है तथा इस आम रास्ता से आमजन को आवागमन की सुविधा मिल रही है। चूंकि रास्ता की भूमि के बदले कोई रकबा अथवा प्रतिफल स्वरूप देना प्रस्तावित नहीं है। अतः राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांकः प.3(17)राज–6/2021पार्ट/91 जयपुर, दिनांक 30.09.2022 के दिशा निर्देशानुसार खातेदारान का रकबा कम ना किया जाकर उसके खाते में ही किस्म परिर्वतन कर चक 1 एलसी के मु.नं. 12–13–14–15 में प्रत्येक के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.025 है. रकबा तथा मु.नं. 16 के कि.नं. 5/0.004, 6/0.025, 15/0.025, 16/0.025, 25/0.025 है. रकबा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4. बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है रास्ते के बदले प्रार्थी राज्य सरकार के नियमानुसार राशि का भुगतान भी कर सकता है। तहसीलदार रायसिंहनगर की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट भी किया गया है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी को खेत में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर को मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दोहराया व कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना सार्वजनिक रास्ते का है प्रार्थना पत्र धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नही आता है अगर न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि दी जावे। अन्यथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं खरा पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए रास्ता स्वीकृत नहीं है अन्य वैकल्पिक मांग भी नहीं है रास्ता स्वीकृत करने की तहसीलदार रायसिंहनगर ने अनुशंषा की है। रास्ता स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थीगण द्वारा की गई रास्ते की मांग अतिआवश्यक है और प्रार्थीगण द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं की सुविधा मात्र के नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 251 क प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 1 एलसी के मु.नं. 12–13–14–15 में प्रत्येक के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.025 है. रकबा तथा मु.नं. 16 के कि.नं. 5/0.004, 6/0.025, 15/0.025, 16/0.025, 25/0.025 है. रास्ता गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण से नवीनतम डीएलसी दर की दुगुनी राशि जाम करवाये। इस के उपरान्त ही गैरमुमकिन रास्ता कायम करे एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 15:13:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner